न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : मनोज गोयल,
अध्यक्ष

निगरानी प्रकरण कमांक 2082–पीबीआर/2015 विरूद्ध आदेश दिनांक 16–4–2015 पारित द्वारा न्यायालय अपर कलेक्टर, जिला गुना, प्रकरण कमांक 48/अपील/2012–13

.....

1–कमलसिंह पुत्र श्री रूपसिंह भिलाला

2–गणेशराम पुत्र बालमुकुन्द साहू

3–श्रीमती शांतिबाई वेवा विकमसिंह राजपूत

निवासीगण ग्राम ऊमरी तहसील व जिला गुना

..... आवेदकगण

विरूद्ध

1–मध्यप्रदेश शासन द्वारा कलेक्टर जिला गुना

2–नाथूलाल सहरिया पटवारी ग्राम ऊमरी

3–अनिल, राजस्व निरीक्षक वृत्त–2 ऊमरी

4–अजमेरसिंह, नायब तहसीलदार गुना वृत्त–2 ऊमरी

..... अनावेदकगण

.....

श्री धर्मेन्द्र चतुर्वेदी, अभिभाषक–आवेदक

श्री पी0एस0जादौन, अभिभाषक–अनावेदक कमांक 1

.....

:: आदेश ::

(आज दिनांक 2/3/17 को पारित)

यह निगरानी आवेदकगण द्वारा मध्यप्रदेश भू राजस्व संहिता, 1959 (जिसे आगे संक्षेप में केवल ''संहिता'' कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत न्यायालय अपर कलेक्टर, जिला गुना द्वारा पारित आदेश दिनांक 16–4–2015 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि आवेदकगण द्वारा अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष ग्राम ऊमरी स्थित भूमि सर्वे नम्बर 304 रकबा 0.314 हेक्टेयर का व्यवस्थापन मध्यप्रदेश वास स्थान दखलकार (भूमिस्वामी अधिकारों का प्रदाय किया जाना ।) संशोधन अधिनियम, 2012 के अन्तर्गत आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया । अनुविभागीय अधिकारी द्वारा दिनांक 3–4–2013 को आदेश पारित कर आवेदकगण का आवेदन पत्र निरस्त किया गया । अनुविभागीय अधिकारी के आदेश के विरूद्ध अपील अपर कलेक्टर के समक्ष प्रस्तुत किये जाने पर अपर कलेक्टर द्वारा दिनांक 16–4–2015 को आदेश पारित कर अनुविभागीय अधिकारी का आदेश स्थिर रखते हुये अपील निरस्त की गई । अपर कलेक्टर के इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की गई है ।

3/ आवेदकगण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि अनुविभागीय अधिकारी द्वारा विधिवत् तहसीलदार से जॉच कराई गई थी और तहसीलदार द्वारा दिनांक 15–2–2013 को प्रतिवेदन प्रस्तुत कर प्रश्नाधीन भूमि के व्यवस्थापन संबंधी प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया था, जिस पर बिना विचार किये अनुविभागीय अधिकारी द्वारा आदेश पारित करने में अवैधानिक एवं अनियमित कार्यवाही की गई है । यह भी कहा गया कि प्रश्नाधीन भूमि पर आवेदकगण का लगभग 20 वर्ष से भी अधिक समय से मकान बना हुआ है, इसलिये उन्हें व्यवस्थापन की पात्रता थी । इस स्थिति पर बिना विचार किये अनुविभागीय अधिकारी एवं अपर कलेक्टर द्वारा आदेश पारित करने में विधिक त्रुटि की गई है । कलेक्टर द्वारा शासन के परिपत्र दिनांक 29–8–12 के अनुसार वास स्थान दखलकर अधिनियम के अन्तर्गत कार्यवाही करने हेतु कमेटी गठित की गई थी, परन्तु कमेटी द्वारा निर्धारित समय सीमा में कार्यवाही नहीं की गई, ऐसी स्थिति में आवेदकगण पर किसी प्रकार का कोई दोष अधिरोपित नहीं किया जा सकता है । उनके द्वारा अधीनस्थ न्यायालयों के आदेश निरस्त किये जाकर प्रश्नाधीन भूमि का व्यवस्थापन आवेदकगण के पक्ष में किये जाने का अनुरोध किया गया ।

4/ अनावेदक कमांक 1 के विद्वान अधिवक्ता द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि प्रश्नाधीन भूमि के व्यवस्थापन की पात्रता आवेदकगण को नहीं होने से उनके द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र निरस्त करने में अनुविभागीय अधिकारी द्वारा कोई त्रुटि नहीं की गई है और अनुविभागीय अधिकारी के आदेश की पुष्टि करने में अपर कलेक्टर द्वारा विधिसंगत कार्यवाही की गई है । उनके द्वारा निगरानी निरस्त किये जाने का अनुरोध किया गया ।

5/ उभयपक्ष के विद्वान अभिभाषकों द्वारा प्रस्तुत तर्को के संदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया। अनुविभागीय अधिकारी के प्रकरण को देखने से स्पष्ट है कि अनुविभागीय अधिकारी द्वारा म0प्र0 वास स्थान दखलकार (भूमिस्वामी अधिकारों का प्रदाय किया जाना) संशोधन अधिनियम 2012 के अन्तर्गत आवेदकगण को प्रश्नाधीन भूमि के व्यवस्थापन का पात्र नहीं पाते हुये आवेदन पत्र निरस्त किया गया है जिसमें किसी प्रकार की कोई अवैधानिकता अथवा अनियमितता परिलक्षित नहीं होती है । चूँकि अनुविभागीय अधिकारी द्वारा विधिसंगत आदेश पारित किया गया था, इसलिये उसकी पुष्टि करने में अपर कलेक्टर द्वारा भी कोई त्रुटि नहीं की गई है। इस प्रकार दोनों अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा निकाले गये समवर्ती निष्कर्ष वैधानिक एवं उचित होने से हस्तक्षेप योग्य नहीं है ।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर अपर कलेक्टर, जिला गुना द्वारा पारित आदेश दिनांक 16–4–2015 स्थिर रखा जाता है । निगरानी निरस्त की जाती है।

(मनोज गोयल)
अध्यक्ष
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश,
ग्वालियर